सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केषव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2010/00042 दर्ज तिथिः—05.05.2010

1. पेमाराम पुत्र वालाराम (फौत) के कायम मुकाम
   1/1 गोकलाराम पुत्र पेमाराम
   1/2 टीकूराम पुत्र पेमाराम
   1/3 लुंभाराम पुत्र पेमाराम
   1/4 रंभादेवी पत्नी पेमाराम
2. कानाराम पुत्र वालाराम
3. मूलाराम पुत्र वगताराम
   जाति जाट निवासी सियोलों की बेरी बाण्ड तहसील गुड़ामालानी (वर्तमान तहसील नोखड़ा) जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. अर्जुनराम पुत्र वालाराम (फौत) के कायम मुकाम
   1/1 किस्तुराराम पुत्र अर्जुनराम (विलोपित)
   1/2 भगाराम पुत्र अर्जुनराम
   1/3 हराराम पुत्र अर्जुनराम
2. समरथाराम पुत्र वालाराम (फौत) के कायम मुकाम
   2/1 पारू पत्नी हीरा पुत्री समरथा (विलोपित)
   2/2 हुकमाराम पुत्र समरथाराम
   2/3 टीकू पत्नी रामा पुत्री समरथा (विलोपित)
   2/4 चूनी पुत्री समरथा फौत के कायम मुकाम
   2/4/1 कमला पुत्री सोनाराम (विलोपित)
   2/4/2 हेमी पुत्री सोनाराम (विलोपित)
   2/4/3 राणी पुत्री सोनाराम (विलोपित)
   2/4/4 जसाराम पुत्र सोनाराम (विलोपित)
3. अनुदेवी पत्नी गोकलाराम
   जाति जाट निवासी सियोलों की बेरी बाण्ड तहसील गुड़ामालानी (वर्तमान तहसील नोखड़ा) जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादी

4. तहसीलदार गुड़ामालानी/नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....तरतीबी प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 12:48:12 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री नारायण कुमावत
प्रतिवादीगणः— श्री चिमनसिंह चौधरी
श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—04.12.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 576 रकबा 0—08 बीघा, 577 रकबा 58—09 बीघा, 601 रकबा 114—05 बीघा मौजा सियोलों की बेरी, खसरा संख्या 495 रकबा 45—11 बीघा, 496/1 रकबा 64—10 बीघा मौजा खडियाली नाडी तहसील गुड़ामालानी हाल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 के वारिसान के अतिरिक्त समस्त प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल उपस्थित न्यायालय नहीं होने से शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02 के वारिसान द्वारा जवाबदावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर वादी के साथ—साथ प्रतिवादी संख्या 02 के कायम मुकाम का भी विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया।

3. प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गयेः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 12:48:12 IST
Reason: SelfAttested

1. *आया वादी संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।*

.....जिम्मे वादी

2. *आया वादी संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के पश्चात् विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।*

.....जिम्मे वादी

3. *आया प्रतिवादी संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।*

.....जिम्मे प्रतिवादी 02 के वारिसान

4. *अन्य दादरसी।*

.....उभयपक्षकारान

4. तत्पश्चात् उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर दिनांक 11.09.2020 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू—धारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2021/1529 दिनांक 05.08.2021 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रकरण में उक्तानुसार सुनवाई करते हुए हाजा न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16.09.2022 को पारित की गई। हाजा द्वारा पारित न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16.09.2022 के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 2/2 द्वारा एक अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर में प्रस्तुत की। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.04.2025 द्वारा हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 16.09.2022 को अपास्त करते हुए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवत्ता/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए प्राथमिक डिक्री के अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये।

5. तत्पश्चात् प्रकरण पुनः सुनवाई में लिया जाकर अधिवक्ता उभयपक्षकारान के निवेदन पर तहसीलदार नोखड़ा से पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/544 दिनांक 04.07.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा लिखित आपत्ति प्रस्तुत की तथा उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। प्रकरण में स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षकारों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया। प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/544 दिनांक 04.07.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 12:48:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 20.06.2025 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के रजिस्टर डाक से प्रेषित नोटिस क्रमांक 1213—1224 दिनांक 05.06.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 20.06.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के रजिस्टर डाक से प्रेषित नोटिस क्रमांक 1213—1224 दिनांक 05.06.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 20.06.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

6. प्रकरण में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रकरण में अधिवक्ता वादीगण द्वारा लिखित आपत्ति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि तहसीलदार नोखड़ा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव रिकॉर्ड एवं मौका कब्जा के विपरीत प्राप्त हुआ है। आगे कथन किया कि उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार नोखड़ा को अधिकृत किया गया था। परंतु तहसीलदार नोखड़ा स्वयं मौके पर नहीं आए एवं केवल भू—अभिलेख निरीक्षक द्वारा पूर्व से ही पक्षकारान के कब्जे प्रस्तावित कर मौके पर पक्षकारान को हस्ताक्षर करने हेतु कहा गया। साथ ही उक्त संयुक्त आराजी के प्रत्येक खसरे में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 का 1/5 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। परंतु भू—अभिलेख निरीक्षक द्वारा खसरा संख्या 601 जो धोरों वाली भूमि है, में प्रतिवादी का हिस्सा प्रस्तावित नहीं करते हुए खसरा संख्या 577 जो समतल भूमि है, में केवल वादी का हिस्सा प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार भू—अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रतिवादी संख्या 2/2 के कहे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। जो बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नहीं होने से पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किया जाना न्यायोचित है। दौरान—ए—बहस अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक प्राथमिक डिक्री एवं मौका कब्जा अनुसार प्रेषित किया गया होने से वादीगण की उक्त आपत्ति काबिल—ए—खारिज है।

7. प्रकरण में दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया गया। प्रकरण में पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से ज्ञात होता है कि तहसीलदार नोखड़ा द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 12:48:12 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकारान की पर्वूसूचित उपस्थिति में तैयार किया गया है। साथ ही पक्षकारान को सूचित करने के संबंध में तामिलशुदा रजिस्टर डाक से प्रेषित नोटिस पत्रावली पर उपलब्ध है। साथ ही उक्त विभाजन प्रस्ताव हल्का पटवारी, भू—अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार नोखड़ा द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार नोखड़ा स्वयं के हस्ताक्षर उपलब्ध है। प्रकरण में अवलोकन विभाजन प्रस्ताव से ज्ञात होता है कि वादीगण को खसरा संख्या 577 में हिस्सा प्रस्तावित किया गया है। जिसके मौके की स्थिति बरंग दर्शाई गई है। उक्त बरंग मौका स्थिति के संबंध में अधिवक्ता वादीगण द्वारा कोई आक्षेप प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार नोखड़ा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मुताबिक प्राथमिक डिक्री एवं कब्जा अनुसार प्राप्त होना प्रतीत होने से वादीगण की उक्त आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षकारों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया।

8. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2071 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 576 रकबा 0—08 बीघा, 577 रकबा 58—09 बीघा, 601 रकबा 114—05 बीघा मौजा सियोलों की बेरी, खसरा संख्या 495 रकबा 45—11 बीघा, 496/1 रकबा 64—10 बीघा मौजा खडियाली नाडी तहसील गुड़ामालानी हाल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है।

9. प्रकरण में पक्षकारों का पारिवारिक सजरा का अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में पक्षकारों का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः—

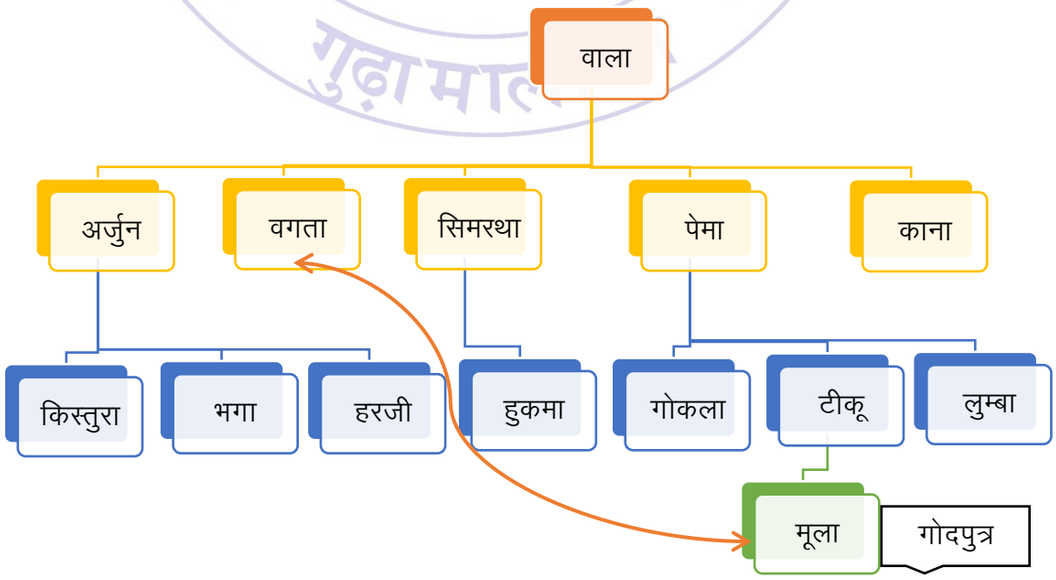

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 12:48:12 IST
Reason: SelfAttested

10. प्रकरण में उक्त पारिवारिक सजरा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वाला के पांच पुत्र अर्जुन, वगता, सिमरथा, पेमा व काना है। सिमरथा वल्द वाला के एक ही पुत्र हुकमा है। काना वल्द वाला के कोई पुत्र नहीं है। वगता वल्द वाला के भी कोई पुत्र नहीं है तथा वगता ने मूला पुत्र टीकु पौत्र पेमा को दत्तक ग्रहण किया हुआ है। अर्जुन वल्द वाला के तीन पुत्र किस्तुरा, भगा व हरजी है। इस प्रकार उक्त संयुक्त आराजी के असल में पांच सहखातेदार है। वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में असल पांच खातेदारों के वारिश दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार असल में उक्त संयुक्त आराजी का विभाजन सर्वप्रथम पांच भाईयों को पांच भागों में किया जाना उचित है। तत्पश्चात् प्रत्येक भाई के भाग का उनके वारिशों के मध्य पुनः विभाजन किया जाना उचित है।

11. प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा संयुक्त आराजी का स्वयं निरीक्षण किया गया। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा संयुक्त आराजी के निरीक्षण के दौरान संयुक्त आराजी में से खसरा संख्या 495 व 496 मौजा खडियाली नाडी के हाल खसरा संख्या 955/495 व 957/496 के तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित विभाजन पर किसी पक्षकारान को कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा संयुक्त आराजी के निरीक्षण के दौरान संयुक्त आराजी में से मौजा सियोलों की बेरी के खसरा संख्या 577 एवं 601 पर मूला दत्तक पुत्र वगता एवं पेमा वल्द वाला के वारिशों के द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत की गई कि खसरा संख्या 577 डेहरी भूमि है जबकि खसरा संख्या 601 धोरे की भूमि है। अतः प्रतिवादी संख्या 02 हुकमा वल्द सिमरथा को डेहरी जमीन खसरा संख्या 577 में अपने 1/5 हिस्से से अधिक आराजी विभाजन में दी गई है तथा धोरे की जमीन के खसरा संख्या 601 में प्रतिवादी संख्या 02 हुकमा वल्द सिमरथा को बिलकुल भी जमीन नहीं दी गई है। अतः प्रतिवादी संख्या 02 हुकमा वल्द सिमरथा को डेहरी जमीन खसरा संख्या 577 में अपने 1/5 हिस्से की ही आराजी विभाजन में दी जावे है तथा धोरे की जमीन के खसरा संख्या 601 में प्रतिवादी संख्या 02 हुकमा वल्द सिमरथा को 1/5 हिस्से जमीन दी जावे।

12. असल में उक्त आपत्ति के संबंध में विश्लेषण व मौके की स्थिति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा सियोलों की बेरी के खसरा संख्या 577 एवं 601 पर तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव उक्त पारिवारिक सजरा के अनुसार बनाया गया है। असल में हुकमा वल्द सिमरथा का वर्तमान में खसरा संख्या 601 पर कोई कब्जा नहीं है। हुकमा वल्द सिमरथा का खसरा सख्या 577 व खसरा संख्या 601 में कुल रकबे में 1/5 हिस्सा आराजी का मौके पर कब्जा केवल खसरा संख्या 577 में ही है। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुतकर्ता मूला दत्तक पुत्र वगता एवं पेमा वल्द वाला के वारिशों के पारिवारिक संगठन को देखने पर ज्ञात होता है कि वगता पुत्र वाला व पेमा वल्द वाला के कुल आराजी में 2/5 हिस्सा बनता है। असल में मुला दत्तक पुत्र वगता का जैविक पिता टीकू वल्द पेमा है। इस प्रकार वगता का 1/5 हिस्सा अप्रत्यक्ष रूप से पेमा वल्द वाला के परिवार जनों के पास ही है। इस प्रकार कुल आराजी में पेमा वल्द वाला को 2/5 हिस्सा प्राप्त होता है। उक्त आराजी के पांच भाईयों में से दो अन्य भाई अर्जुन वल्द वाला व काना वल्द वाला को मौजा सियोलों की बेरी के खसरा संख्या 577 एवं 601 पर तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार मौजा सियोलों की बेरी के खसरा संख्या 577 एवं 601

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 12:48:12 IST
Reason: SelfAttested

पर तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर पांच भाईयों में से तीसरे भाई सिमरथा के वारिश हुकमा की सहमति है। अंत में मौजा सियोलों की बेरी के खसरा संख्या 577 एवं 601 पर तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर पांच भाईयों में से दो भाई वगता वल्द वाला व पेमा वल्द वाला या असल में कहे तो एक ही भाई पेमा वल्द वाला को आपत्ति है। साथ ही यह भी अवलोकनीय है कि डेहरी जमीन खसरा संख्या 577 पर पेमा वल्द वाला व वगता वल्द वाला को भी आराजी विभाजन में दी गई है। असल में मौजा सियोलों की बेरी के खसरा संख्या 577 एवं 601 पर तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पूर्व से ही मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार बनाया गया है। उक्त विभाजन प्रस्ताव पारिवारिक सजरे के अनुसार सही प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रकरण में मुताबिक कुर्रेजात पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

13. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

14. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 12:48:12 IST
Reason: SelfAttested

2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

15. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक—पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

16. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। यहां यह उल्लेखनीय है कि मूल वाद में खसरा संख्या 495 एवं 496/1 का वर्तमान में नवीन खसरा संख्या क्रमशः 955/495, 957/496 है नवीन खसरा संख्या अनुसार आदेश किया जाता है। अतः

आदेष है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 576 रकबा 0—08 बीघा, 577 रकबा 58—09 बीघा, 601 रकबा 114—05 बीघा मौजा सियोलों की बेरी, खसरा संख्या 955/495 रकबा 45—05 बीघा, 957/496 रकबा 64—10 बीघा मौजा खडियाली नाडी तहसील

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 12:48:12 IST
Reason: SelfAttested

गुड़ामालानी हाल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
घमाराम पुत्र भगाराम हि0 1/3 प्रतापाराम पुत्र भगाराम हि0 1/3 केसीदेवी पत्नी भगाराम हि0 1/3 जाति जाट सा0 देह खातेदार	सियोलों की बेरी	601 601	1.8000 1.8367	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 3.6367 है0				
हराराम पुत्र अर्जुनराम हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 देह खातेदार	सियोलों की बेरी खडियाली नाडी	577 957/496	1.8000 3.5203	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 5.3203 है0				
कानाराम पुत्र बालाराम हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 देह खातेदार	सियोलों की बेरी खडियाली नाडी	577 601 957/496	1.2000 4.7270 3.0300	बा0दो0 बा0सो0 बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 8.9570 है0				
हुकमाराम पुत्र सिमर्थाराम हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 देह खातेदार	सियोलों की बेरी खडियाली नाडी	577 955/495 957/496	4.6235 0.5679 3.7656	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 8.9570 है0				
गोकलाराम पुत्र पेमाराम हि0 1/8 टीकूराम पुत्र पेमाराम हि0 1/8 रम्भादेवी पत्नी पेमाराम हि0 1/8 लुम्भाराम पुत्र पेमाराम हि0 1/8 मूलाराम दत्तक पुत्र बगताराम हि0 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार	सियोलों की बेरी	576 577 601 601	0.0647 1.4000 4.7000 5.1198	गै0मु0 बा0दो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 11.2845 है0				
अनुदेवी पत्नी गोकलाराम हि0 1/2 गोकलाराम पुत्र पेमाराम हि0 1/8 टीकूराम पुत्र पेमाराम हि0 1/8 रम्भादेवी पत्नी पेमाराम हि0 1/8 लुंभाराम पुत्र पेमाराम हि0 1/8 जाति जाट सा0 देह खातेदार	खडियाली नाडी	955/495	6.6295	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 6.6295 है0				

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 12:48:12 IST
Reason: SelfAttested

हुकमाराम पुत्र सिमर्थाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	खडियाली नाडी	955/495	0.1260	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.1260 है0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ				
कानाराम पुत्र बालाराम हि0 1/3 हराराम पुत्र अर्जुनराम हि0 1/3 हुकमाराम पुत्र सिमर्थाराम हि0 1/3 जाति जाट सा0 देह खातेदार	सियोलों की बेरी	577	0.4380	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.4380 है0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ				
कानाराम पुत्र बालाराम हि0 1/3 मूलाराम दत्तक पुत्र बगताराम हि0 1/3 लूम्भाराम पुत्र पेमाराम हि0 1/3 जाति जाट सा0 देह खातेदार	सियोलों की बेरी	601	0.2701	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.2701 है0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्षा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 04.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केषव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 12:48:12 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केषव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2010/00042 दर्ज तिथिः—05.05.2010

1. पेमाराम पुत्र वालाराम (फौत) के कायम मुकाम
   1/1 गोकलाराम पुत्र पेमाराम
   1/2 टीकूराम पुत्र पेमाराम
   1/3 लुंभाराम पुत्र पेमाराम
   1/4 रंभादेवी पत्नी पेमाराम
2. कानाराम पुत्र वालाराम
3. मूलाराम पुत्र वगताराम
   जाति जाट निवासी सियोलों की बेरी बाण्ड तहसील गुड़ामालानी (वर्तमान तहसील नोखड़ा) जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. अर्जुनराम पुत्र वालाराम (फौत) के कायम मुकाम
   1/1 किस्तुराराम पुत्र अर्जुनराम (विलोपित)
   1/2 भगाराम पुत्र अर्जुनराम
   1/3 हराराम पुत्र अर्जुनराम
2. समरथाराम पुत्र वालाराम (फौत) के कायम मुकाम
   2/1 पारू पत्नी हीरा पुत्री समरथा (विलोपित)
   2/2 हुकमाराम पुत्र समरथाराम
   2/3 टीकू पत्नी रामा पुत्री समरथा (विलोपित)
   2/4 चूनी पुत्री समरथा फौत के कायम मुकाम
   2/4/1 कमला पुत्री सोनाराम (विलोपित)
   2/4/2 हेमी पुत्री सोनाराम (विलोपित)
   2/4/3 राणी पुत्री सोनाराम (विलोपित)
   2/4/4 जसाराम पुत्र सोनाराम (विलोपित)
3. अनुदेवी पत्नी गोकलाराम
   जाति जाट निवासी सियोलों की बेरी बाण्ड तहसील गुड़ामालानी (वर्तमान तहसील नोखड़ा) जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादी

4. तहसीलदार गुड़ामालानी/नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....तरतीबी प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 12:48:12 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री नारायण कुमावत
प्रतिवादीगणः— श्री चिमनसिंह चौधरी
श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 576 रकबा 0—08 बीघा, 577 रकबा 58—09 बीघा, 601 रकबा 114—05 बीघा मौजा सियोलों की बेरी, खसरा संख्या 955/495 रकबा 45—05 बीघा, 957/496 रकबा 64—10 बीघा मौजा खडियाली नाडी तहसील गुड़ामालानी हाल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
घमाराम पुत्र भगाराम हि0 1/3 प्रतापाराम पुत्र भगाराम हि0 1/3 केसीदेवी पत्नी भगाराम हि0 1/3 जाति जाट सा0 देह खातेदार	सियोलों की बेरी	601 601	1.8000 1.8367	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 3.6367 है0				
हराराम पुत्र अर्जुनराम हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 देह खातेदार	सियोलों की बेरी खडियाली नाडी	577 957/496	1.8000 3.5203	बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 5.3203 है0				
कानाराम पुत्र बालाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	सियोलों की बेरी खडियाली नाडी	577 601 957/496	1.2000 4.7270 3.0300	बा0दो0 बा0सो0 बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 8.9570 है0				

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 12:48:12 IST
Reason: SelfAttested

हुकमाराम पुत्र सिमर्थाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	सियोलों की बेरी खडियाली नाडी	577 955/495 957/496	4.6235 0.5679 3.7656	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 8.9570 है0				
गोकलाराम पुत्र पेमाराम हि0 1/8 टीकूराम पुत्र पेमाराम हि0 1/8 रम्भादेवी पत्नी पेमाराम हि0 1/8 लुम्भाराम पुत्र पेमाराम हि0 1/8 मूलाराम दत्तक पुत्र बगताराम हि0 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार	सियोलों की बेरी	576 577 601 601	0.0647 1.4000 4.7000 5.1198	गै0मु0 बा0दो0 बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 11.2845 है0				
अनुदेवी पत्नी गोकलाराम हि0 1/2 गोकलाराम पुत्र पेमाराम हि0 1/8 टीकूराम पुत्र पेमाराम हि0 1/8 रम्भादेवी पत्नी पेमाराम हि0 1/8 लुंभाराम पुत्र पेमाराम हि0 1/8 जाति जाट सा0 देह खातेदार	खडियाली नाडी	955/495	6.6295	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 6.6295 है0				
हुकमाराम पुत्र सिमर्थाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	खडियाली नाडी	955/495	0.1260	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.1260 है0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ				
कानाराम पुत्र बालाराम हि0 1/3 हराराम पुत्र अर्जुनराम हि0 1/3 हुकमाराम पुत्र सिमर्थाराम हि0 1/3 जाति जाट सा0 देह खातेदार	सियोलों की बेरी	577	0.4380	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.4380 है0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ				
कानाराम पुत्र बालाराम हि0 1/3 मूलाराम दत्तक पुत्र बगताराम हि0 1/3 लूम्भाराम पुत्र पेमाराम हि0 1/3 जाति जाट सा0 देह खातेदार	सियोलों की बेरी	601	0.2701	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.2701 है0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 12:48:12 IST
Reason: SelfAttested

नक्षा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 04.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 12:48:12 IST
Reason: SelfAttested